छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालयः लोकाश प्लाजा, शंकर नगर रोड, शंकर नगर, रायपुर

दूरभाषः 0771– 2444428, 2444429, 4055441, 4057847, 4057751, फैक्सः 0771–2444427

e-mail : vanvikasnigam@yahoo.com

क./वविनि/05/2014/1775 से 1799 रायपुर, दिनांक : ..../07/2014

प्रति,

समस्त संबंधित

संस्थाएँ

.... (छ.ग.)

विषयः– छ.ग. राज्य को हरा–भरा बनाने के लिए हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण के संबंध में ।

संदर्भः– 1. माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम 2014 के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 16/06/2014 में प्रदत्त निर्देश ।

2. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 07/07/2014 में दिये गये निर्देश ।

–0–

विषयान्तर्गत एवं उक्त संदर्भो के अनुसरण में लेख है कि आपके द्वारा वर्ष 2014 में किये जाने वाले सड़क किनारे रोपण के संबंध में लक्ष्य आपको आवंटित किया जा चुका है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि पथ–रोपण के क्रियान्वयन हेतु चयनित मार्ग एवं लम्बाई की जानकारी वन विकास निगम की वेबसाईट www.cgrvvn.com पर उपलब्ध है । उक्त सूची में से मार्ग चयन कर वन विकास निगम के मुख्यालय से उक्त मार्ग का आबंटन सुनिश्चित कराकर ही रोपण करें। यह आबंटन वन विकास निगम मुख्यालय में लिखित आवेदन पर प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार ही आबंटित किया जावेगा। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग पर रोपण करना हो तो संस्थाऐं संबंधित कलेक्टर से सम्पर्क कर मार्ग चयन कर उसकी सूचना वन विकसा निगम मुख्यालय को देकर निगम से रोपण हेतु मार्ग आबंटन सुनिश्चित करावें।

जैसा कि बैठक में अवगत कराया गया था कि पथ–रोपण में आम, नीम, जामुन, ईमली, आंवला, बेल, करंज, शीशू, गुलर, महुआ, अर्जुन, कदम्ब, पीपल, बड़ आदि फलदार एवं छायादार प्रजातियों का ही प्रमुखता से चयन किया जावे । सतवन (छातिम) एवं पेल्टाफोरम आदि ऑरनामेन्टल प्रजाति का रोपण पथ–रोपण में नहीं किया जावेगा ।

पथ–रोपण की सफलता के लिए यह भी निर्देशित किया गया था कि कम से कम 4 फीट ऊंचाई के पौधों का रोपण किया जावे एवं रोपण पश्चात् पर्याप्त सुरक्षा एवं रख–रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।

जैसा कि आपको विदित होगा पथ–रोपण के लिए वृक्ष प्रजाति का रोपण एक तकनीकी कार्य है जिसमें मृदा की प्रकृति, जलवायु एवं स्थानीय कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है एवं यह एक वानिकी के अन्तर्गत तकनीकी कार्य है जिसमें उचित मापदण्ड एवं आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन जरूरी है । इस संबंध में सड़क किनारे वृक्षारोपण के लिए मानक माडल संलग्न प्रेषित है । इस माडल में पथ–रोपण की प्रभावी फेंसिंग के लिए आर.सी.सी. सीमेंट पोल्स CSIDC आईटम कोड नं. 2 मी. लम्बाई 3m-3m के अन्तराल की मदद से 7 स्ट्रैण्ड (5 हॉरिजेन्टल एवं 2 क्रास) के उच्च गुणवत्ता एवं मानक स्पेसिफिकेशन के कंटीले तार की मदद से सड़क किनारे दोनों ओर (सड़क की ओर एवं पृष्ठ भाग में, खेतों की तरफ का भाग) के साथ 05 वर्षो तक उचित रख–रखाव एवं सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक उपचारों की जानकारी दी गई है जिस पर अमल करने के उपरान्त रोपण की सफलता एवं उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।

क्रमशः 2

उपरोक्त कार्य सुनिश्चित करने हेतु संस्थायें स्थल हेतु आवश्यक प्रोजेक्ट प्राक्कलन बनाकर स्थल पर रोपण रजिस्टर (Plantation Journal) रखें जिसमें किसी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवश्यक कार्य जो प्रोजेक्ट अनुरूप किये जा रहे हैं का रिकार्ड रखा जावे व वह स्थल पर समय–समय पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहे।

यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य तकनीकी मार्गदर्शन आवश्यक हो तो वन विकास निगम के स्थानीय अधिकारी अथवा मुख्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

आपको आबंटित लक्ष्य अनुसार रोपण करने के उपरान्त रोपण स्थल की पूर्ण जानकारी व मानचित्र वन विकास निगम, लोकाश प्लाजा, शंकर नगर, रायपुर को 15 सितम्बर 2014 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें ताकि रोपण का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि.

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

प्रबंध संचालक

पृ.क्र./वविनि/05/2014/ रायपुर, दिनांकः ..../07/2014

प्रतिलिपि : प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उद्योग एवं वाणिज्य, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रबंध संचालक